राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की
आठवीं बैठक

22 दिसम्बर, 2010

टैगोर हॉल, स्कोप कॉमप्लेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

कार्यसूची टिप्पणियां

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)

विषयवस्तु

कार्यसूची	मद		पृष्ठ सं.
I.	7 अप्रैल, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की सातवीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई नोट।		1-23
II.	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी): उपलब्धियां एवं परिदृश्य पर विचार-विमर्श		24
	1.	पृष्ठभूमि	24
	2.	योजना का उद्देश्य	25
	3.	योजना की संभावना	26-29
	4.	क्लस्टर विकास योजना के लाभ	30
	5.	कार्यान्वयन एजेन्सियां	30
	6.	परियोजना अनुमोदन	30
	7.	अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन	31
	8.	प्रगति	31
	9.	उभरते मुद्दे	34-35
	10.	सफलता/उपलब्धियां	35-40
III.		अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु/मुद्दा	41

कार्यसूची मद संख्या 1

7 अप्रैल, 2010 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की सातवीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई नोट।

बैठक में उठाए गए मुद्दें/बिन्दु	कृत कार्रवाई/टिप्पणियां
क्रेडिट संबंधी मुद्दे	
1. 5 लाख रू. तक के समपार्श्विकता मुक्त ऋण की आवश्यकता तथा एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकताओं, मुख्य रूप से क्रेडिट संबंधी मामले, पर उचित रूप से ध्यान देना। **(पैरा सं. 6)**	क्षेत्र को महत्ता देते हुए आरबीआई ने बैंकों को दिनांक 23 जनवरी के परिपत्र के जरिए यह सलाह दी है कि वे 5 लाख रू. तक के ऋणों के लिए समपार्श्विकता पर बल न दें तथा अगस्त 24, 2009 के परिपत्र आरपीसीडी.एसएमई एण्ड एनएफसी.बी.सी सं. 16/06.02.31(पी)/2009-10 के जरिए यह स्पष्ट किया है कि ये दिशानिर्देश अनिवार्य हैं। तदनुसार क्रेडिट गारंटी योजना की समीक्षा के लिए कार्यदल (अध्यक्ष: श्री वी.के. शर्मा, कार्यकारी निदेशक) की सिफारिशों के संबंध में समपार्श्विकता मुक्त लेंडिंग को 5 लाख रू. से बढ़ाकर 10 लाख रू. कर दिया गया है और इस संबंध में बैंकों को मई 6, 2010 के परिपत्र आरपीसीडी.एसएमई एण्ड एनएफसी.बी.सी सं. 79/06.02.31)/ 2009-10 के जरिए सलाह दी गई है। इसके अलावा 100 लाख रू. (100 लाख रू. मात्र) का अधिकतम क्रेडिट कैप रखने वाले नए तथा साथ ही साथ मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के पात्र सदस्य लेंडिंग संस्थानों द्वारा विस्तारित कोई भी समपार्श्विक/तृतीय पक्ष की गारंटी मुक्त क्रेडिट सुविधा (फंड तथा साथ ही साथ बगैर फंड दोनों पर आधारित) क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवर किए जाने हेतु पात्र है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 25.09.08 द्वारा जारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) संबंधी दिशानिर्देश आरबीआई के परिपत्र को दोहराते हैं कि 5 लाख रू. तक के ऋण वाली

	परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा किसी भी समपार्श्विक प्रतिभूति पर बल नहीं दिया जाएगा और यह कार्यबल द्वारा क्लियर की गई परियाजनाओं के संदर्भ में भी लागू है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है समपार्श्विकता मुक्त लेंडिंग को बढ़ाकर 10 लाख रू. कर दिया गया है।
2. उद्यमों की रूग्णता पूर्व कमजोर स्थिति, जहां से इन उद्यमों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, की उचित परिभाषा की आवश्यकता। **(पैरा सं.7)**	रूग्ण एमएसई इकाइयों की परिभाषा, इनके अनुवीक्षण, जीवनक्षमता मानदंडों, आरंभिक रूग्णता आदि से विशिष्ट संदर्भ रखते हुए एमएसएई क्षेत्र में रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के संबंध में आरबीआई ने दिनांक 16 जनवरी, 2002 के परिपत्र आरपीसीडी.पीएलएनएफएस. बीसी.57/06.04.01/2001-02 के जरिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। एमएसई इकाइयों के मामले में पुनर्वास प्रयासों में .इकाइयों को पुनर्वास के लिए लंबी अवधि दिए जाने के बजाय आरंभिक रूग्णता के चिन्हों की जल्दी पहचान करने, पर्याप्त एवं गहन राहत उपाय एवं उन्हें तीव्रता से लागू करने पर जोर दिया गया है। बैंकों/वित्तीय संस्थानों को प्रभावी अनुवीक्षण द्वारा रूग्णता के चिन्ह् दर्शाने वाली इकाइयों की पहचान करने तथा यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है ताकि इकाइयों को समृद्धि की राह पर वापस लाया जा सके। बैंकों के प्रचालन कर्मियों के लिए निर्देश के रूप में उक्त परिपत्र के **परिशिष्ट-1** में आरंभिक रूग्णता के चेतावनी संकेतों, जो लेनदार खातों और अन्य संबंधित रिकार्डों की जांच के दौरान देखे जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आवधिक वित्तीय डाटा, स्टॉक विवरणियां, फैक्टरी के परिसरों और गोदामों के निरीक्षण की रिपोर्ट आदि, को दर्शाने वाली एक सूची दी गई है। जैसा कि कार्यकारी निदेशक, आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है रूग्ण एमएसएमई के पुनर्वास में प्रगति की समीक्षा को ध्यान में रखते

	हुए आरबीआई के प्रादेशिक निदेशकों की अध्यक्षता में एमएसएमई संबंधी सशक्त समतियां भी गठित की गई हैं। कार्यकारी निदेशक ने सभी प्रादेशिक निदेशकों को डीओ पत्रों द्वारा क्षेत्र में संभावी रूप से जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों के समय पर पुनर्वास की बारीकी से निगरानी करने को कहा है ताकि रूग्णता की घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि केन्द्रीय कार्यालय के स्तर पर मामले का बारीकी से अनुवीक्षण किया जाएगा।
3. देशभर में विभिन्न बैंकों द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए एकरूप मानक **(पैरा सं. 10)**	आरबीआई के दिनांक 4 मई, 2009 के परिपत्र द्वारा बैकों को सलाह दी गई है कि 2 करोड़ रू. के सभी अग्रिमों के मामले में लेंडिंग स्कोरिंग मॉडल के आधार पर की जाएगी और स्कोरिंग के लिए अपेक्षित सूचना को आवेदन प्रपत्र में स्वंयमेव शामिल किया जाएगा।
4. संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य रूप से क्षेत्र को क्रेडिट का प्रर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए। साथ ही विलंबित भुगतान की समस्या से निपटने की आवश्यकता। **(पैरा सं. 15)**	आरबीआई ने सूचित किया है कि एमएसई क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह का अनुवीक्षण आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। बैंकों को अपने एमएसई ऋणों को 60 प्रतिशत (चरणों में) सूक्ष्म उद्यमों को देने की सलाह दी गई है। चूंकि बैंकों द्वारा लक्ष्य का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा था, अत: सूक्ष्म उद्यमों को लेंडिंग में लक्ष्यों को कड़ाई से पालन करने के लिए कार्यकारी निदेशक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को डीओ पत्र लिखे गए हैं और उक्त का अनुवीक्षण आरबीआई द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा रुग्ण एमएसई के पुनर्वास संबंधी कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डा. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों के आधार पर बैंकों को दिनांक 4 मई, 2009 के परिपत्र आरपीसीडी.एसएमईएण्डएनएफएस.बीसी.सं.102/ 06.04.01/2008-09 के जरिए निम्नोक्त की सलाह दी गई है (i) क्रेडिट सुविधाओं के विस्तार को नियंत्रित करने वाली एक ऋण नीति, (ii)

	संभावी रूप से जीवनक्षम रूग्ण इकाइयों/उद्यमों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्संरचना/पुनर्वास नीति, और (iii) गैर-निष्पादनकारी ऋणों की वसूली के लिए गैर-विवेकाधीन एक बारगी निपटान योजना। इस तिथि तक उपरोक्त तीनों दिशानिर्देशों का क्रमश: 42 बैंकों, 41 बैंकों और 44 बैंकों द्वारा पालन किए जाने की रिपोर्ट है। इस संबंध में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने निम्नोक्त रूप से सूचित किया गया है: सिडबी प्रचालन के विगत बीस वर्षों में 16 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ एमएसएमई को अपनी लेंडिंग में बढ़ोतरी कर रहा है। आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो मार्च 31, 2008 की स्थिति के अनुसार 20,226 करोड़ रू. से बढ़कर मार्च 31, 2009 की स्थिति के अनुसार 30,886 करोड़ रू. तक बढ़ गया है और मार्च 31, 2010 की स्थिति के अनुसार और अधिक बढ़कर 37,969 करोड़ रू. तक हो गया है। विलंबित भुगतान की समस्या से निपटने के लिए सिडबी प्राप्तियोग्य वित्त योजना (रिसीवेबल फाइनेंस स्कीम) का प्रचालन कर रहा है जिसके तहत सिडबी एमएसएमई को तुरंत अपनी बिक्री संबंध कार्यवाहियों का पता लगाने में समर्थ बनाने के लिए भली भांति निष्पादन कर रहीं क्रेता कम्पनियों और डिस्काउंट बिलों के लिए सीमा निर्धारित करता है। एमएसएमई को शीघ्र एवं समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिडबी ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ सिडबी की एमएसएमई रिसीवेबल फाइनेंस स्कीम के तहत आरटीजीएस आधार पर एमएसएमई की ट्रेड रिसीवेबल्स की डिस्काउंटिंग के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म एनटीआरईईएस (सिडबी

	के सहयोग से ई-डिस्काउंटिंग के लिए एनएसई ट्रेड रिसीवेबल इंजिन) का गठन किया है। विलंबित भुगतानों के मामले पर आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र से खरीद के संबंध में भुगतान संबंधी बाध्यताएं पूरा करने के लिए कॉरपोरेट लेनदारों को संस्वीकृत सम्पूर्ण सीमा के भीतर पृथक उप-सीमाएं संस्वीकृत करने की सलाह दी गई है। बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को एमएसएमई को कॉरपोरेटों द्वारा किए जाने वाले भुगतान की स्थिति का अनुवीक्षण करने के लिए तथा जहां कही आवश्यक हो, कॉरपोरेट को प्राथमिकता के आधार पर उसे जारी करने के लिए कहने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले पर 5 मई, 2010 को आयोजित स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 11वीं बैठक में भी विचार विमर्श किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि एमएसई को उनके कॉरपोरेट, क्रेताओं से विलंबित भुगतान संबंधी एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावक्षमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने यह जांच करने का अनुरोध किया जा सकता है कि बड़े कॉरपोरेटों द्वारा उनके एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान न किए गए बकायों को कर योग्य बनाने के लिए क्या आयकर नियमों को संशोधित किया जा सकता है। मामले पर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया है।
5. एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक समर्पित विकास बैंक के लिए आग्रह। प्राथमिक क्षेत्र लेंडिंग में से एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नियत लक्ष्य होना चाहिए और इस क्रेडिट का 60 प्रतिशत सूक्ष्म क्षेत्र के लिए विनियोजित होना चाहिए।	संसद अधिनियम के तहत 2 अप्रैल, 1990 को गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के संवर्धन, वित्तयन एवं विकास तथा समान कार्यकलापों में लिप्त संस्थानों के प्रकार्यों के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान है।

(पैरा सं.16)	सिडबी मुख्य रूप से एक पुनर्वित्तयन संस्थान है। यह प्राथमिक लेंडिंग संस्थानों (पीएलआई) जैसे बैंकों, एसएफसी, एसआईडीसी/एसएसआईडीसी, एमएफआई आदि की संसाधन स्थिति में परिवर्धन करने के लिए पुनवित्तयन उपलब्ध कराता है ताकि उन्हें एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट का और अधिक प्रवाह उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया जा सके। सिडबी अपनी सब्सिडेयरियों/सहयोगियों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र में प्रत्यक्ष क्रेडिट, सूक्ष्म-वित्त, जोखिम पूंजी के साथ-साथ सेवाएं जैसे कि क्रेडिट गारंटी, वेंचर कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग, प्रौद्योगिकी मैचिंग और एनपीए के पुनर्निमाण को सुगम बनाने संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सिडबी, (क) ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम (आरआईपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि के माध्यम से उद्यम संवर्धन जिसके परिणामस्वरूप स्व-रोजगार और अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होंगे और (ख) वैश्वीकरण की उभरती चुनौतियों का सामना करने में एमएसएमई को समर्थ बनाने के लिए चुनिंदा इण्टरवेंशनों जैसे कि कौशल-सह-प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (एसटीयूपी), लघु उद्योग प्रबंधन कार्यक्रम (एसआईएमएपी), क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) और विपणन सहायता के माध्यम से उद्यमों को सशक्त बनाना, जैसे राष्ट्रीय महत्ता के दुहरे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक (पीएण्डडी) कार्यकलाप भी कर रहा है। एमएसएमई संबंधी प्रधानमंत्री कार्यदल की सिफारिशों के संबंध में आरबीआई ने बैंकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को क्रेडिट में 20 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष हासिल करने और सूक्ष्म उद्यमों के एकाउंट में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करने की सलाह दी है। आरबीआई द्वारा बैंकों को

	विस्तारित लक्ष्य के अनुसार यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि एमएसई क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म उद्यमों को पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध हो, एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को जाना चाहिए। यद्यपि बैंकों को उपरोक्त के अनुसार 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी गई है, तथापि प्रधानमंत्री कार्यबल की सिफारिशों के संबंध में सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत का आबंटन चरणों में उपलब्ध किया जाना है अर्थात वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत।
6. सिडबी से सावधि ऋण के लिए पुनर्भुगतान की अवधि को 10 वर्षों तक की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। **(पैरा सं. 17)**	एमएसएमई को सिडबी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए परियोजना संबंधी सावधि ऋणों की पुनर्भुगतान अवधि सामान्यत: 7-10 वर्षों (18 माह तक की अधिस्थगन अवधि सहित) तक तय की जाती है जो वैयक्तिक ऋण प्रस्तावों के नकद प्रवाह के विश्लेषण पर आधारित होती है।
7. कोई भी बैंक अतिलघु उद्यमों के लिए अनिवार्य क्रेडिट प्रावधान का निष्पादन नहीं कर रहा है। अतिलघु उद्यमों के लिए बिना किसी समपार्श्विक गारंटी और सुरक्षा के 5 लाख रू. तक के अनिवार्य क्रेडिट प्रावधान के पर्यवेक्षण के लिए एक वैधानिक निकाय होना चाहिए। **(पैरा सं. 25)**	जैसा कि पैरा सं. 6 के मुद्दे पर की गई टिप्पणी में उल्लेख किया गया है आरबीआई ने बैंकों के लिए एमएसई क्षेत्र में इकाइयों को प्रदान किए गए 10 लाख रू. तक के ऋणों के मामले में समपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करना अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई ने सूचना दी है कि किसी भी बैंक के विरूद्ध विशिष्ट शिकायतें उनके ध्यान में लायी जा सकती है ताकि उनकी पड़ताल की जा सके और संबंधित बैंक के साथ मामले पर उपयुक्त तौर पर विचार किया जा सके।
8. ग्रामीण एवं अतिलघु क्षेत्र के प्रति शाखा प्रबंधकों और बैंकों के फील्ड अधिकारियों के	आरबीआई ने सूचना दी है कि कि सीजीटीएमएसई की क्रेडिट गारंटी योजना

दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बैंकों के ऐसे शाखा प्रबंधकों, जो एमएसई क्षेत्र के लाभार्थियों के प्रति लचीला बर्ताव करते हैं, के विरूद्ध अनावश्यक सर्तकता मामले नहीं होने चाहिए। **(पैरा सं. 26)**	(सीजीएस) के कार्य की समीक्षा करने के लिए कार्यकारी दल से सिफारिश की है कि सीजीएस कवर प्राप्त करने के लिए शाखा स्तर की कार्यकारी इकाइयों को सुदृढ़ता से प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी संबद्ध होकर कार्य करें और इस संबंध में अपने फील्ड स्टॉफ के निष्पादन को उनके मूल्यांकन का मानदंड बनाएं। तदनुसार बैंकों को इस मामले में उपयुक्त तौर पर सलाह दी गई है।
9. आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के बीच एक परामर्शी तंत्र के माध्यम से क्रेडिट रेटिंग के लिए एक सामान्य प्रपत्र। **(पैरा सं. 27)**	जैसा कि आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है, आई.बी.आई. को बैंकों के साथ परामर्श करके मामले की जांच करने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए "निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना" कार्यान्वित कर रहा है। योजना का प्रचालन छह प्रमाणन रेटिंग एजेन्सियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, एसएमईआरए, ओएनआई सीआरए, सीएआरई, एफआईटीसीएच और आईसीआरए के माध्यम से किया जा रहा है। सभी रेटिंग एजेन्सियां रेटिंग मेथोडोलॉजी के आधार पर एकरूप रेटिंग स्केल का पालन कर रही हैं, जिसमें क्रेडिट और प्रचालन, वित्तीय, व्यवसाय एवं प्रबंधन जोखिमों के निष्पादन घटक शामिल हैं। योजना के तहत रेटिंग एमएसई की क्षमताओं और क्रेडिट योग्यता के संबंध में विश्वसनीय तृतीय पक्ष के मत के रूप में कार्य करती है।
10. एमएसएमई क्षेत्र/लघु निर्यातकों को समर्थन प्रदान करने के लिए सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ऋण की ब्याज दर को वर्तमान दर से कम करना। **(पैरा सं. 28)**	आरबीआई ने सूचित किया है कि बैंकों की लेंडिंग दर में पारदर्शिता बढ़ाने और आर्थिक नीति के अंतरण के बेहतर मूल्यांकन में उन्हें समर्थ बनाने को ध्यान में रखते हुए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को परिपत्र डीबीओडी, सं. डीआईआर बीसी 88/13.03.00/2009-10 के द्वारा बेस रेट प्रणाली की शुरूआत करने की सलाह दी गई है

	जो 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हो गई है। इसलिए अब आगे से सभी श्रेणियों के ऋण बेस रेट के संदर्भ में ही आंके जाएंगे। चूंकि बेस रेट सभी ऋणों के लिए न्यूनतम दर होगी अत: बैंकों को बेस रेट से कम किसी भी लेंडिंग की अनुमति नहीं है। यह आशा की जाती है कि लेंडिंग के उपरोक्त गैर-विनियम से छोटे लेनदारों के लिए क्रेडिट के प्रवाह में उपयुक्त दर की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, सिडबी ने निम्नोक्त सूचना दी है: • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लेंडिंग दरों को और अधिक समर्थ बनाने के उद्देश्य से सिडबी ने अपनी पीएलआर को घटा कर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है जो बैंकिंग उद्योग में सबसे कम दरों में से एक है। • सिडबी एसएफसी को 5 वर्षों तक के ऋणों के लिए 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 5 वर्षों से अधिक के ऋणों के लिए 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वर्तमान दरों, जो इसकी 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की पीएलआर से कम है, के द्वारा पुनर्वित्तयन समर्थन प्रदान करता है। • एमएसई पुनर्वित्तयन योजना के तहत बैंकों/आरआरबी/सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्तयन योजना के तहत ब्याज दर संरचना विपणन दर, अवधि आदि के संबंध में बातचीत से तय की जाती है। • बैंक ने ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए एमएसएमई को 9.5-10 प्रतिशत की ब्याज दर पर रियायती शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए "एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने" हेतु एक योजना आरंभ की है।

	• एमएसई के लिए फंडों की लागत को कम करने के लिए सिडबी 5 लाख रू. (ऋण सीमा को 2 लाख रू. से बढ़ाकर 5 लाख रू. कर दिया गया है) तक के ऋणों के लिए कोई अपफ्रन्ट शुल्क/प्रोसेसिंग प्रभार तथा भुगतान पूर्व ब्याज नहीं लगा रहा है। • जहां एमएसएमई वित्तयन को कुछ सरकारी योजनाओं (जैसे सीएलसीएसएस, टीयूएफएस आदि) का समर्थन मिल रहा है वहां ब्याज की प्रभावी दरें कम हो जाती है। • एसएमईआरए से अच्छी रेटिंग प्राप्त करने वाले एमएसएमई (10 करोड़ रू. तक के ऋण वाले) के लेनदारों को 1 प्रतिशत तक का ब्याज प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
11. एजेन्सियां जैसे कि भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो (क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया) समय पर ऋण का पुनर्भुगतान करने वालों के उचित रिकार्ड का अनुरक्षण करें ताकि तदनुसार उनकी क्रेडिट योग्यता प्रतिच्छायातित हो सके। **(पैरा सं. 31)**	आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने "क्रेडिट सूचना ब्यूरो को क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करना" के संबंध में दिनांक 4 जून, 2002 को परिपत्र डीबीओडी सं. डीएल.बीसी.111/20. 16.001/2001-02 जारी किया था। इसके अलावा आरबीआई ने अपने दिनांक 1 अक्तूबर, 2002 के परिपत्र द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सीआईबीआईएल को नॉन-सुइट फाईल किए गए एकाउंट संबंधी क्रेडिट सूचना के विवरण भी प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। इसके अलावा दिनांक 24 जून, 2009 का आरबीआई का "निजी क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंच" संबंधी परिपत्र डीओबीडी सं. डीएल.बीसी. 138/20.16.042/ 2008-09 क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंच में सक्षम बनाएगा। इस संबंध में सीआईबीआईएल ने निम्नोक्त सूचना दी है:-

	सीआईबीआईएल क्रेडिट संस्थानों से क्रेडिट संबंधी सूचना प्राप्त करता है। यह सूचना क्रेडिट रिपोर्टों में एकत्र की जाती है और अनुरोध पर सीआईबीआईएल के सदस्यों और ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। क्रेडिट सूचना कम्पनी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 9.3.3 के अनुपालन में सीआईबीआईएल डाटाबेस की किसी भी सूचना में संगत क्रेडिट संस्थान से पुष्टि किए बगैर कोई संशोधन नहीं कर सकता है। क्रेडिट सूचना यदि कुछ भी हटाया जाना हो अथवा जोड़ा जाना हो, तो वह तभी किया जा सकता है जब सदस्य उस परिवर्तन के संबंध में सीआईबीआईएल को सूचित करें।
12. एसएमई क्षेत्र को ब्याज की लेंडिंग दर 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। **(पैरा सं. 31)**	जैसा कि पैरा सं. 28 के विषय संबंधी टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है क्रेडिट मूल्यन को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आरबीआई ने 9 अप्रैल, 2010 को बेस रेट पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। बेस रेट प्रणाली ने बीपीएलआर प्रणाली का स्थान ले लिया है और यह 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हो गई है। बेस रेट प्रणाली का लक्ष्य बैंकों की लेंडिंग दरों में पारदर्शिता को बढ़ाना और आर्थिक नीति के अंतरण के बेहतर मूल्यांकन में समर्थ बनाना है।
13. एसएमई एक्सचेंजों की स्थापना की महत्ता पर बल दिया गया था। **(पैरा सं. 6 और 31)**	एसएमई एक्सचेज की स्थापना के संबंध में सेबी (एसईबीआई) ने 'लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार टर्मिनलों वाले मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक स्टॉक एक्सचेंज/एक ट्रेडिंग प्लेटफार्म की स्थापना' संबंधी एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है। इसके विवरण सेबी की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

14. प्रदान किए जाने योग्य दर पर क्रेडिट **(पैरा सं. 13)**	पैरा सं. 28 पर दिए गए विषय संबंधी टिप्पणियों के ही समान।
15. सूक्ष्म क्रेडिट की महत्ता **(पैरा सं. 18)**	सरकार ने 2003-04 में सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम की एक योजना आरंभ की है। सिडबी से ऋण प्राप्त करने के लिए एमएफआई/एनजीओ से अपेक्षित प्रतिभूति जमा के लिए अंशदान के जरिए योजना को सिडबी के मौजूदा कार्यक्रम से जोड़ा गया है। योजना का प्रचालन कम सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों और अन्य कम सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों के पॉकेटों/जिलों में किया जा रहा है। भारत सरकार सिडबी के सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम जिसे 'पोर्टफोलियो रिस्क फंड' कहा जाता है, के लिए फंड उपलब्ध कराती है। वर्तमान में सिडबी ऋण राशि के 10 प्रतिशत के बराबर फिक्सड डिपॉज़िट लेता है। एमएफआई/एनजीओ का भाग ऋण राशि का 2.5 प्रतिशत (अर्थात प्रतिभूति जमा का 25 प्रतिशत) है तथा शेष 7.5 प्रतिशत (प्रतिभूति जमा का 75 प्रतिशत) का समायोजन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए फंडों से किया जाता है। अब तक सरकार ने 'पोर्टफोलियो रिस्क फंड' के लिए 100.00 करोड़ रू. की राशि जारी की है। 31 अक्तूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार योजना के तहत एमएफआई/एनजीओ को 1461.44 करोड़ रू. की सकल राशि प्रदान की गई है जिससे लगभग 21.85 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

विलंबित भुगतान	
1. विलंबित भुगतान की समस्या	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में विलंबित भुगतान से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर इस कार्यालय द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में दिनांक 05.08.2010 के पत्र

	सं.1(6)/2010-एमएसएमई पॉलिसी के द्वारा एनबीएमएसएमई के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है।
2. प्रधानमंत्री कार्यबल रिपोर्ट में विलंबित भुगतान संबंधी समस्या को शामिल न किए जाने का मुद्दा। आयकर अधिनियम में एक छोटा सा संशोधन करके विलंबित भुगतान की समस्या से निपटा जा सकता है। **(पैरा सं. 21)**	एनबीएमएसएमई के सदस्यों को दिनांक 05.08.2010 के पत्र सं. 1(6)/2010-एमएसएमई पॉलिसी के जरिए आयकर नियम 1962 में पहले से ही किए जा चुके संशोधन, जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के प्रावधानों को प्रभावी बनाते हैं, के संबंध में सूचित कर दिया गया है और उनसे यदि कहीं अपेक्षित हों, तो अतिरिक्त संशोधनों हेतु सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। हालांकि इस कार्यालय को एनबीएमएसएमई के सदस्यों से और कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

कर संबंधी मुद्दे	
1. एमएसएमई क्लस्टरों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट **(पैरा सं. 12)**	विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने इस मामले पर राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ विचार किया है।
2. जेनेरेटर सेटों के लिए कर एवं उत्पाद शुल्क छूट **(पैरा सं. 19)**	-वही-
3. सामान एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के कार्यान्वयन के लिए तंत्र **(पैरा सं. 20)**	-वही-
4. बड़े उद्योग जो अपना कच्चा माल और इण्टरमिडियेट उत्पाद एमएसई क्षेत्र से आउटसोर्स करते हैं, हेतु टैक्स ब्रेक **(पैरा सं. 27)**	-वही-

5. औद्योगिक संपदाओं में स्थित उद्यमों पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले अनावश्यक करों से बचाव करना **(पैरा सं. 30)**	-वही-

क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)	
1. जेनरेटर सेटों की अधिप्राप्ति सीएलसीएसएस की कवरेज के तहत होनी चाहिए। **(पैरा सं. 19)**	सीएलसीएसएस के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड के विनियमों के अनुसार इकाई द्वारा स्थापित किए गए जेनरेटर सेटों और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की लागत दिशानिर्देशों में अन्यथा विनिर्दिष्ट अपवाद के अलावा सीएलसीएसएस के तहत सब्सिडी लाभा हेतु स्वीकृत नहीं है।
2. एमएसएमईडी, अधिनियम के तहत लघु उद्योग की निवेश सीमा की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए सीएलसीएसएस की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। **(पैरा सं. 21)**	इस मामले पर 16.12.2009 को आयोजित एमएसएमई मंत्रालय के शासी एवं प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड की छठीं बैठक में भी विचार विमर्श किया गया था। इस पर भी विचार विमर्श किया गया था कि सब्सिडी के लिए पात्र ऋणों की उच्चतम सीमा को 1 करोड़ रू. से बढ़ाकर 5 करोड़ रू. करने से बड़े आकार की फर्में योजना के दायरे में आ जाएंगी जो योजना के तहत लघु इकाइयों को लाभ लेने से रोक सकती है। चूंकि योजना के तहत सीमित फंड उपलब्ध थे अत: छोटी इकाइयों, जिन्हें सहायता की अधिक ज्यादा आवश्यकता थी, पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। अत: समिति ने योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्र ऋणों की मौजूदा 1 करोड़ रू. की उच्चतम सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। अत: मंत्रालय इसका समर्थन नहीं करता है।

क्लस्टर आधारित पहलू	
1. कृषि उत्पाद, बांस और हार्डबोर्ड आधारित	एमएसई-सीडीपी के तहत विकास आयुक्त

क्लस्टरों का संवर्धन करने की आवश्यकता तथा साथ ही अनुषंगी क्लस्टरों की वृद्धि के लिए बड़े उद्योगों के सहयोग की महत्ता। **(पैरा सं. 11)**	(एमएसएमई) ने कृषि/खाद्य उत्पादों और बेंत और बांस उत्पादों के विकास के लिए कई क्लस्टर लिए हैं। अब तक कृषि/खाद्य उत्पादों के लिए 74 क्लस्टर तथा बेंत, बांस और जूट उत्पादों के लिए 15 क्लस्टरों को लिया गया है। इसके अलावा एमएसई-सीडीपी सभी उत्पाद समूह क्लस्टरों के लिए खुला है। अनुषंगी क्लस्टरों को बढ़ावा देने के लिए संशोधित एमएसएई-सीडीपी दिशानिर्देशों के तहत बड़ी मुख्य विनिर्माण फर्मों (सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र), क्लस्टर के अन्य प्रमुख क्रेताओं, एमएसई-उत्पादों, और बीडीसी प्रदाताओं के लिए एसपीवी के लिए 49 प्रतिशत तक अंशदान करने का प्रावधान किया गया था, हालांकि एसपीवी का प्रबंधन स्पष्ट रूप से लाभार्थी एसपीवी करेगा।
2. देशभर में प्रत्येक जिले और संसदीय विधानसभा क्षेत्र में मिनी क्लस्टरों, बहुउत्पाद क्लस्टरों की स्थापना हेतु मांग। **(पैरा सं.25)**	वर्तमान क्लस्टर विकास कार्यक्रम नए क्लस्टरों की स्थापना की परिकल्पना नहीं करता है, इसके बजाय एमएसई-सीडीपी योजना समान/समान प्रकार के उत्पादों/सेवाओं का उत्पादन कर रहे मौजूदा क्लस्टरों को सहयोग प्रदान करने हेतु है।

आधारभूत संरचना	
1. प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर सूक्ष्म औद्योगिक संपदाओं की स्थापना की आवश्यकता ताकि वे धीरे धीरे लघु एवं मध्यम औद्योगिक संपदाओं में बदल सकें। **(पैरा सं. 25)** 2. अपर्याप्त विद्युत एवं जलापूर्ति। **(पैरा सं. 19)**	विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) नाम से एक योजना का प्रचालन कर रहा है जिसमें अंदरूनी सड़कें, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, निकासी, सड़क किनारे की हरियाली आदि को सुदृढ़ बनाने/निर्मित करने के लिए आधारभूत संरचना विकास संबंधी घटक भी हैं। योजना के प्रावधान के तहत आरंभ में एक जिले में एक आधारभूत सरंचना विकास (आईडी) केन्द्र सृजित/अद्यतन किया जा सकता है, उसी जिले में दूसरी परियोजना पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब पहले की परियोजना(ओं) के लिए

	विकसित स्थल आबंटित किए गए हों। योजना मांग आधारित है और किसी जिले में आईडी केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाता जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं। अब तक देश में 124 आईआईडी केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें तामिलनाडु में 20 आईआईडी केन्द्र शामिल है। अनुदान हेतु पात्र परियोजना लागत 10.00 करोड़ रू. तक सीमित है जो केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, 50 प्रतिशत से अधिक (क) सूक्ष्म (ख) महिला स्वामित्व वाले (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं के मामले में 80:20 को छोड़कर) के अनुपात में बांटी जाती है।

अन्य मुद्दे	
1. विपणन एवं कम लागत उत्पादन: बेहतर विपणन पहलें, कम लागत उत्पादन एवं उत्पाद गुणवत्ता में सुधार से एमएसएमई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सुसज्जित होंगे। **(पैरा सं. 9)**	एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) ने 10 घटक सृजित तथा तैयार किए हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय इन सुझावों का अपने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) के भाग के रूप में अनुपालन करता है। 10 घटकों में से एक एमएसएमई के लिए विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना है।

	इस योजना में प्रस्तावित मुख्य कार्यकलाप पैकेजिंग में प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिक बाजार तकनीकों का उन्नयन/विकास, जोखिम वाले उत्पादों का अध्ययन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष घटक (देश के अन्य भागों में आयोजित घरेलू प्रदर्शनियों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएसएमई की भागीदारी), राज्य/जिला स्तर के स्थानीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों के माध्यम से नया बाजार, कारपोरेट गवर्नेंस व्यवहार, आईएसओ-18000/22000/27000 प्रमाणन और चुनिंदा एमएसएमई-विकास संस्थानों के परिसरों में विपणन केंद्रों की स्थापना हैं। एनएमसीपी के अन्य घटकों, जिनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और बाजार पहुंच बेहतर करना है, का ब्यौरा निम्नलिखित है (1) विनिर्माण में होने वाली बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, जिससे एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। (2) डिजाइन क्लीनिक योजना (3) भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में आईसीटी का संवर्धन (4) मिनी टूल रूम (5) क्यूएमएस/क्यूटीटी (6) एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी व गुणवत्ता उन्नयन समर्थन	
2. अनुषंगी उद्यम: अनुषंगी क्लस्टरों के विकास के लिए बड़े उद्योगों का सहयोग आवश्यक है। अनुषंगी उद्यमों के विकास के लिए प्लांट स्तर की समिति बैठकों की निगरानी। **(पैरा सं 11)**	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय 'अनुषंगीकरण के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम' नामक एक प्लान स्कीम चला रहा है और उसे एमएसएमई-विकास संस्थानों द्वारा अनुषंगी उद्यमों के विकास के लिए राष्ट्रीय व राज्य स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा देश के हर राज्य में लागू किया जा रहा है। विक्रेता विकास कार्यक्रमों में बड़े संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र और एमएसएमई अपने बीच एक दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। प्रत्येक विक्रेता विकास कार्यक्रम में कोई सेमिनार/कार्यशाला/क्रेता-विक्रेता बैठक होती है जिसमें खरीदरार यानी बड़े संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र और एमएसएमई इस कार्यक्रम के परस्पर संपर्क सत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विक्रेता विकास कार्यक्रमों के पारस्परिक क्रिया सत्र के दौरान 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक की व्यावायिक पूछताछ होती है। अत: विक्रेता विकास कार्यक्रम अनुषंगी उद्यमों के विकास के लिए विपणन संपर्क बनाता है। 1997 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दिशानिर्देशों को हटाए जाने से पहले, अनुषंगी उद्यमों के विकास के लिए राज्य सरकार के उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में अनुषंगी उद्यमों के विकास हेतु प्लांट स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिसमें निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान समिति के सदस्य सचिव थे और उद्योग संघों तथा मदर प्लांट के सदस्य थे। तब से लगभग सभी राज्यों में प्लांट स्तर की समिति का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और अनुषंगी उद्यमों के विकास के लिए	**कार्यसूची मद सं II** **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) : उपलब्धियों व**

संभावनाओं पर चर्चा

1. पृष्ठभूमि

1.1 **क्लस्टर की परिभाषा:** क्लस्टर एक निर्धारित तथा व्यावहारिक, साथ लगे हुए क्षेत्र के भीतर स्थित और समान/एक जैसे उत्पाद/सेवाएं उत्पन्न करने वाले उद्यमों का एक समूह है। किसी क्लस्टर में उद्यमों की अनिवार्य विशेषताएं हैं (क) उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण, ऊर्जा उपभोग, प्रदूषण नियंत्रण, आदि की विधियों में समानता या अनुपूरकता (ख) प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों/व्यवहारों का समान स्तर (ग) क्लस्टर के सदस्यों के बीच संपर्क के माध्यम (घ) सामान्य चुनौतियां तथा अवसर।

1.2 **एमएसएमई मंत्रालय की क्लस्टर विकास पहलें:** क्लस्टर आधारित हस्तक्षेप को भारतीय उद्योगों, खास सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) के व्यापक विकास के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में पहचाना गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय क्लस्टरों के विकास पर विशेष जोर देता रहा है और उसने 1998 में 'एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन व प्रबंधन कार्यक्रम' (अपटेक) नामक एक विशेष योजना आरंभ की। क्लस्टर आधारित होने के बावजूद, अपटेक अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी केंद्रित थी और उसके मुख्य कार्यकलापों में क्लस्टर में प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार के लिए प्रदर्शन प्लांटों की स्थापना और कार्यशालाओं और सेमिनारों, आदि का आयोजन शामिल है। अगस्त 2003 में, इस योजना का लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी) के रूप में पुनर्नामकरण किया गया और सॉफ्ट इंटरवेंशनों (अर्थात प्रौद्योगिकी, विपणन, निर्यात व कौशल विकास) तथा हार्ड इंटरवेंशनों (अर्थात सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना, आदि) को शामिल करते हुए समग्र विकास अपनाने के द्वारा उसे व्यापक बनाया गया। मार्च 2006 में एसआईसीडीपी दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया गया।

1.3 **एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना को शामिल किया जाना:** 1994 से, मंत्रालय राज्यों में औद्योगिक अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन में सहायता भी करता रहा है। 2007 में एमएसई के संवर्धन हेतु पैकेज के निर्णयों के अनुरूप, अक्टूबर 2007 में मंत्रालय की पूर्व एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना को विद्यमान वित्तपोषण प्रारूप के साथ सूक्ष्म व लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) में सम्मिलत कर दिया गया। बढ़े हुए वित्तपोषण के साथ एमएसई-सीडीपी के संशोधित दिशानिर्देशों को 10 फरवरी 2010 को जारी किया गया।

2. योजना के उद्देश्य

एमएसई-सीडीपी योजना का लक्ष्य सॉफ्ट इंटरवेंशनों (जैसे नैदानिक अध्ययन, क्षमता निर्माण, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन, प्रशिक्षण, अध्ययन दौरे, एक्सपोजर दौरे, आदि), हार्ड इंटरवेंशनों (सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना) और अवसंरचना उन्नयन (एमएसई के नए/विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण/उन्नयन) के द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों का समग्र तथा एकीकृत विकास है।

2.1 सामान्य मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी, कौशल व गुणवत्ता, बाजार पहुंच, पूंजी की उपलब्धता, आदि में सुधार के द्वारा एमएसई की जीवनक्षमता तथा विकास में सहायता करना।

2.2 स्व-सहायता समूहों, संघों के गठन, संगठनों के उन्नयन, आदि के द्वारा सामान्य सहायता की कार्रवाई से एमएसई का क्षमता निर्माण।

2.3 एमएसई के नए/विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उन्नयन।

2.4 सामान्य सुविधा केंद्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चे माल के डिपो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, अनुपूरक उत्पादन प्रक्रियाओं, आदि के लिए) की स्थापना।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

3.1 नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट (डीएसआर)

3.1.1 किसी क्लस्टर में नैदानिक अध्ययन आयोजित करने का उद्देश्य क्लस्टर की क्षमताओं, कमजोरियों, खतरों और अवसरों (स्वोट), समस्याओं और अवरोधों, सुझावों तथा सुव्यवस्थित कार्य योजना की पहचान करने के लिए क्लस्टर इकाइयों की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं, जैसे विनिर्माण प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, खरीद, आउटसोर्सिंग, आदि को रेखांकित करना है ताकि क्लस्टर की इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके और क्लस्टर को विकास के एक आत्मनिर्भर मार्ग पर लगाया जा सके। इस अध्ययन को बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी सुधार,

बेहतरीन विनिर्माण व्यवहारों का अंगीकरण, उत्पादों के विपणन, रोजगार सृजन, आदि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट में प्रदर्शित समस्याओं और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के बीच प्रत्यक्ष संबंध जरूरी है।

3.1.2 डीएसआर को उपभोक्ताओं द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। डीएसआर तैयार करने में शामिल अन्य एजेंसियों के पास क्लस्टर विकास में संबंधित विशेषज्ञता होनी चाहिए। क्लस्टर की विशिष्ट आवश्यकताओं की जांच की जानी चाहिए और उसे डीएसआर में शामिल किया जाना चाहिए।

3.1.3 एक क्लस्टर के लिए डीएसआर तैयार करने के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये का सरकारी अनुदान प्रदान किया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय के फील्ड संगठनों के लिए, यह वित्तीय सहायता 1 लाख रुपये होगी। संस्वीकृत राशि का 50% अनुमोदन के बाद जारी किया जाएगा। शेष 50% रिपोर्ट स्वीकार करने के बाद ही जारी किया जाएगा। एक क्लस्टर के लिए डीएसआर 3 महीने की अवधि के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।

3.2 सॉफ्ट इंटरवेंशन

3.2.1 सॉफ्ट कार्यकलापों में ऐसे कार्यकलाप शामिल होते हैं जो सामान्य सजगता के निर्माण, काउंसलिंग, अभिप्रेरणा तथा विश्वास निर्माण, एक्सपोजर दौरों, निर्यात सहित बाजार विकास, सेमिनारों में भागदारी, प्रौद्योगिकी उन्नयन पर कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि को प्रेरित करते हैं। ये हस्तक्षेप क्लस्टर में एमएसई के कार्य की विद्यमान शैली में सुधार लाने के लिए आवश्यक सामान्य दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन लाते हैं।

3.2.2 सॉफ्ट इंटरवेंशनों के निर्णायक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए किसी क्लस्टर में क्रिटिकल मास अधिकतम लेकिन क्लस्टर विकास कार्यकलापों में भागीदारी करने वाली 25 इकाइयों से कम नहीं होना चाहिए। तथापि, मुश्किल और पिछड़े क्षेत्रों के लिए तथा महिलाओं/अनु.जा./अनु.जनजा./अल्पसंख्यकों की उल्लेखनीय उपस्थिति वाले विशेष उद्यमी समूहों के लिए क्रिटिकल मास 20 हो सकता है।

3.2.3 परियोजना लागत के लिए अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये प्रति क्लस्टर होगी। भारत सरकार अनुदान परियोजना लागत की संस्वीकृत राशि का 75% होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के लिए, 50% से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाले (ग) अनु.जा./अनु.जनजा. इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए भारत सरकार अनुदान 90% होगा। क्लस्टर के आकार/टर्नओवर के अनुसार परियोजना लागत को संशोधित किया जाएगा। क्लस्टर लाभार्थियों का अंश यथासंभव उच्च हो सकता है लेकिन कुल लागत से 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट इंटरवेंशनों की अवधि अधिकतम 18 माह होनी चाहिए।

3.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

3.3.1 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों के क्लस्टर के लिए तथा/अथवा मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र/क्लस्टर में वर्तमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए अथवा नवीन औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र हेतु अवस्थापना विकास परियोजना के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए तकनीकी तथा वित्तीय रूप से

व्यवहार्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकतम 5.00 लाख रूपये का भारत सरकार का अनुदान प्रदान किया जाएगा। डीपीआर में संभावित लाभ व हानि का लेखा, संभावित तुलन-पत्र, आदि जैसे बुनियादी सांचों का उपयोग करते हुए आन्तरिक पावती पर, ब्रेक ईवन अंक, ऋण-सेवा सहभागिता अनुपात, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि जैसे वित्तीय विश्लेषण शामिल होने चाहिएं। डीपीआर का मूल्यांकन एक बैंक (यदि बैंक वित्तपोषण शामिल है)/स्वतंत्र तकनीकी सलाहकार संगठन/सिडबी द्वारा होना चाहिए।

3.4 हार्ड इंटरवेंशन: (सामान्य सुविधा केंद्र)

3.4.1 प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का सृजन जैसे परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, उत्पादन केंद्र, एफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट संयंत्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, सामान्य कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो, उत्पाद प्रदर्शन केन्द्र, सूचना केन्द्र, कोई अन्य आवश्यकता आधारित सुविधा।

3.4.2 अधिकतम 15.00 करोड़ रूपये की परियोजना लागत के 70% तक भारत सरकार का अनुदान। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, 50% से अधिक (क) सूक्ष्म/ग्रामीण (ख) महिलाओं के स्वामितव वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले क्लस्टरों में सीएफसी के लिए 90% होगा।

3.4.3 सीएफसी के लिए भूमि एवं निर्माण की संपूर्ण लागत एसपीवी/संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पट्टे पर लिए गए परिसरों में सीएफसी स्थापित किया जा सकता है।

3.4.4 प्रस्तावित सीएफसी की स्थापना तथा संचालन से पूर्व एसपीवी का गठन आवश्यक है। एक एसपीवी अपने सदस्यों के बीच सकारात्मक सहयोग के पूर्व अनुभव के प्रमाण के साथ एक स्पष्ट कानूनी संस्था (सहकारी सोसायटी, पंजीकृत सोसायटी, न्यास अथवा कोई कम्पनी) है। एसपीवी में सम्मिलन का स्वरूप होना चाहिए जिसमें सुविधा का उपयोग करने हेतु क्लस्टर में संभावित उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए नए सदस्यों को नामांकित करने का प्रावधान होना चाहिए।

3.4.5. स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के सदस्यों के रूप में कार्यरत कम से कम 20 एमएसई क्लस्टर इकाइयां सदस्य होनी चाहिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। विशेष मामलों में जहां क्लस्टर का निवेश, प्रौद्योगिकी अथवा लघु परिमाप, आदि इकाइयों की न्यून संख्या के लिए आवश्यक है, एसपीवी के लिए न्यूनतम 10 एमएसई इकाइयों पर विचार किया जा सकता है।

3.4.6 क्लस्टर लाभार्थियों की हिस्सेदारी यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए परन्तु सीएफसी की कुल लागत के 10 प्रतिशत से कम न हो।

3.4.7 विशाल पोषक निर्माण फर्में (चाहे वे सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र की हों) क्लस्टर एमएसई उत्पादों के अन्य प्रमुख क्रेता, वाणिज्यिक मशीनरी आपूर्त्तिकर्त्ता, कच्चा माल, आपूर्त्तिकर्त्ता तथा व्यापार विकास सेवा (बीडीएस) प्रदानकर्ता एसपीवी के लिए अधिकतम 49 प्रतिशत का अंशदान करने की पात्र होंगी बशर्ते एसपीवी का प्रबंधन स्पष्टतया वांछित लाभार्थी एसपीवी के पास बना रहे।

3.4.8 अन्तिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर सीएफसी का संचालन शुरू हो जाना चाहिए जब तक कि उसे संचालन समिति के अनुमोदन से बढ़ा न दिया जाए। सीएफसी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा एसपीवी के बीच त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

3.5 आधारभूत संरचना विकास

3.5.1 भूमि का विकास, जलापूर्ति का प्रावधान, जल निकासी, विद्युत वितरण, सामान्य प्रयोग के लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सड़कों का निर्माण, सामान्य सुविधाओं जैसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, कैंटीन, नए औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं (बहु-उत्पाद) या विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं/क्लस्टरों में अन्य आवश्यकता आधारित अवसंरचनात्मक सुविधाएं।

3.5.2 इन परियोजनाओं के स्थान से मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए जैसे रेलवे स्टेशनों/राज्य राजमार्गों से निकटता, जलापूर्ति की उपलब्धता, विद्युत, दूरसंचना सुविधाएं, आदि।

3.5.3 भारत सरकार का अनुदान 10.00 करोड़ रूपये की परियोजना लागत के 60% तक सीमित किया जाएगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों में, 50% से अधिक (क)सूक्ष्म (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों वाले औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में परियोजनाओं हेतु 80% होगा।

3.5.4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करेंगे।

3.5.5 परियोजना को अन्तिम अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। एक जिले में द्वितीय/उत्तरवर्त्ती परियोजना पर तभी विचार किया जाएगा जब पूर्ववर्त्ती परियोजना(ओं) में विकसित स्थलों का आबंटन हो जाए।

3.6 महिला उद्यमी संघों द्वारा प्रदर्शनी केंद्र: केंद्रीय क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना और महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के उत्पादों की बिक्री के लिए महिला उद्यमी संघों को परियोजना लागत के 40% की दर से भारत सरकार सहायता भी उपलब्ध होगी। भारत सरकार योगदान सजावट, फर्नीचर, फिटिंग्स, स्थायी प्रदर्शन की वस्तुओं, जेनेरेटरों जैसे विविध परिसंपत्तियों, आदि के लिए होगा।

4. क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के लाभ:

नेटवर्किंग और भरोसे पर आधारित इंटर-फर्म सहयोग सुनिश्चित करके इस उद्योग में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट एप्रोच को एक प्रभावी एप्रोच के रूप में अपनाया गया है । यूनिटों के भौगोलिक सामीप्य तथा उत्पादों की एकरूपता/समानता के कारण काफी संख्या में यूनिटों के लिए विकास संबंधी इंटरवेंशन किए जा सकते हैं तथा जिससे कार्यान्वयन के दौरान अधिक उत्पाद न्यूनतम लागत पर प्राप्त हो सकते हैं । दीर्घावधि में इस एप्रोच का उद्देश्य संवहनीयता भी है ।

- यह बड़े स्तर पर बचतों की कमी तथा कमजोर पूंजीगत आधार की कमियों से उबरने में मदद करती है ।
- इससे लचीले ढांचे के गुणों से परिपूर्ण होने तथा तीव्र निर्णय प्रक्रिया से प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है ।
- बाजार की चुनौतियों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया ।
- सूचना का तेजी से प्रसार ।
- सर्वोत्तम प्रचलित प्रथाओं को आपस में शेयर करना (संगठनात्मक क्षमताएं, कौशल, तकनीकी नीवनताएं) ।
- अनेक सामान्य लागतों को बांटने के कारण बेहतर कम लागत ।
- लाभ को और अधिक लोगों तक पहुंचाना

5. कार्यान्वयन एजेंसियां:

कार्यकलाप	कार्यान्वयन एजेंसी
डायग्नोस्टिक स्टडी सॉफ्ट इंटरवेंशन सीएफसी की स्थापना	• सू.ल.म.उ.मंत्रालय के कार्यालय • राज्य सरकारों के कार्यालय • सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास में लगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान • सू.ल.म.उ.मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान/एजेंसी
अवसंरचना विकास परियोजनाएं	ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्व्यन में राज्य सरकार की अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से राज्य/संघ शासित सरकारें ।

6. परियोजना का अनुमोदन:

इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों पर सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में गठित एमएसई-सीडीपी की संचालन समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा । डीएसआर, डीपीआर और साफ्ट इंटरवेंशंस के लिए प्रस्तावों को केवल एक ही स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा । हार्ड इंटरवेंशंस (सीएफसी) और अवसंचरना विकास परियोजनाओं को दो स्तरों :- सिद्धांत रूप में अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन के स्तरों पर अनुमोदित किया जाएगा ।

7. मानिटरिंग और मूल्यांकन:

7.1 इन परियोजनाओं की प्रगति के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) शीर्ष निकाय होगा ।

7.2 राज्य सरकारों, उनके स्वायत्तशासी निकायों और एसपीवी द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं परियोजनाओं के संबंध में इन परियोजनाओं की मानिटरिंग करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी जिससे इन गतिविधियों का कार्यान्वयन संतोषजनक रूप से और समय-सीमा पर सुनिश्चित किया जा सके । प्रत्येक राज्य सरकार को सचिव अथवा उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में इस उद्देश्य के लिए एक परियोजना संचालन समिति गठित करनी होगी जिसमें सभी स्टेक-होल्डर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।

8. प्रगति:

देश में विभिन्न क्लस्टर डवलपमेंट इंटरवेंशंस (अर्थात डायग्नोस्टिक स्टडी, साफ्ट इंटरवेशन, हार्ड इंटरवेंशन) के लिए 471 क्लस्टरों को अपनाया गया है । इसके अलावा इस योजना के प्रारंभ से इस योजना के अंतर्गत अवसंचरना विकास के लिए 124 प्रस्ताव (जिसमें विद्यमान औद्योगिक परिसम्मपत्तियों के उन्नयन के लिए शामिल 28 प्रस्तावों सहित) शामिल हैं।

8.1 चल रही क्लस्टर विकास परियोजनाएं

डायग्नोस्टिक स्टडी	61
सोफ्ट इंटरवेंशंस	110
हार्ड इंटरवेंशंस	35
कुल	**206**
पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	265
कुल	**471**

8.2 अवसंचरना परियोजनाएं

चल रही परियोजनाएं	36
पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं	88

वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा					
		2007-08		2008-09		2009-10	
		एसआई, डीएसआर, सीएफसी	अवसंरचना	एसआई, डीएसआर, सीएफसी	अवसंरचना	एसआई, डीएसआर, सीएफसी	अवसंरचना
1	आंध्र प्रदेश	4.50	24.17	12.75	11.19	42.57	0
2	अरुणाचल प्रदेश	5.00	0	9.00	0	0.00	60.00
3	असम	10.70	84.70	29.10	319.89	93.19	432.56
4	बिहार	11.30	0	8.37	0	17.56	0
5	छत्तीसगढ़	15.16	146.16	0.00	0	2.33	56.53
6	दिल्ली	1.30	0	0.50	0	16.01	0
8	गोवा	1.00	0	0.00	0	0.00	0
7	गुजरात	0.45	25.25	2.25	0	2.00	0
9	हरियाणा	24.15	0	5.97	0	3.70	0
10	हिमाचल प्रदेश	7.85	0	5.28	0	7.15	0
12	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0.50	65.09
11	झारखंड	0.00	0	3.06	0	1.89	0
13	कर्नाटक	23.68	0	20.72	0	166.47	0
14	केरल	196.80	79.90	312.53	0	157.60	37.20

16	मध्य प्रदेश	18.99	38.12	7.19	12.86	10.05	29.87
15	महाराष्ट्र	5.92	0	30.46	72.90	76.59	130.41
17	मणिपुर	5.00	0	17.10	0	3.00	0
19	मिजोरम	5.00	115.30	20.50	0	9.00	0
18	मेघालय	4.05	0	2.52	0	0.00	0
20	नागालैंड	10.38	175.0	0.77	0	6.02	0
21	उड़ीसा	67.57	0	16.97	33.73	131.85	0
22	पंजाब	31.70	0	13.63	0	41.90	0
23	राजस्थान	41.83	0	62.23	147.18	63.66	112.84
24	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	1.50	0
25	तमिलनाडु	73.85	29.47	261.00	50.65	273.67	49.68
26	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	3.75	182.00
27	उत्तर प्रदेश	92.14	17.00	290.08	0	114.36	0
28	उत्तराखंड	13.68	0	3.70	0	5.66	0
29	पश्चिम बंगाल	96.56	72.58	34.10	0	59.74	56.54

एमएसई-सीडीपी के तहत लिए गए क्लस्टरों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	डायग्नोस्टिक स्टडी, सॉफ्ट और हार्ड इंटरवेंशन के लिए अपनाए गए क्लस्टरों की संख्या			अवसंरचना विकास संबंधी प्रस्तावों की संख्या		
		चालू	पूर्ण हो चुके	कुल	चालू	पूर्ण हो चुके	कुल
1	आंध्र प्रदेश	3	24	27	0	4	4
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	1	0	1
3	असम	9	3	12	7	4	11
4	बिहार	4	4	8	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	2	2	2	2	4
6	दिल्ली	2	3	5	0	0	0
7	गोवा	1	6	7	2	0	2
8	गुजरात	1	2	3	0	0	0
9	हरियाणा	2	4	6	0	21	21
10	हिमाचल प्रदेश	1	2	3	1	0	1
11	जम्मू और कश्मीर	3	3	6	0	0	0
12	झारखंड	1	2	3	1	1	2
13	कर्नाटक	8	7	15	1	3	4

14	केरल	14	26	41	0	8	8
15	मध्य प्रदेश	20	8	29	1	3	4
16	महाराष्ट्र	3	4	7	4	3	7
17	मणिपुर	1	2	3	0	0	0
18	मिजोरम	0	2	2	0	0	0
19	मेघालय	1	2	3	0	2	2
20	नागालैंड	1	2	3	0	1	1
21	उड़ीसा	9	18	27	2	1	3
22	पंजाब	7	14	21	1	2	3
23	राजस्थान	19	10	29	1	9	10
24	सिक्किम	1	0	1	0	0	0
25	तमिलनाडु	22	14	36	7	13	20
26	त्रिपुरा	2	2	4	1	0	1
27	उत्तर प्रदेश	33	83	116	0	8	8
28	उत्तराखंड	0	4	4	0	3	3
29	पश्चिम बंगाल	37	10	47	4	0	4
	जोड़	**206**	**265**	**471**	**36**	**88**	**124**

9. उभरते मुद्दे:

क्लस्टर डवलपमेंट पहल का कार्यान्वयन क्लस्टर एक्टर, राज्य सरकारों, पणधारियों, दानदाताओं, नीति निर्माताओं आदि का संयुक्त प्रयास है । हमेशा कुछ मुद्दे रहे हैं जिनसे क्लस्टर डवलपमेंट पहल के कार्यान्वयन का कार्य धीमा हुआ है । कुछ उभरते हुए मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

I. एसपीवी के निर्माण में असाधारण विलम्ब:

अधिकांश क्लस्टर डवलपमेंट पहल स्पेशल परपज व्हीकल्स (एसपीवी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । एसपीवी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक कंपनी, एक ट्रस्ट अथवा एक समिति (भारतीय सोसायटी अधिनियम 1980 के अंतर्गत पंजीकृत) हो सकती है । यह पाया गया है कि एसएमई के समूह एसपीवी के निर्माण में काफी अधिक समय लेते हैं ।

II. भूमि और भवन के आबंटन में विलम्ब:

इस योजना के अंतर्गत भूमि और भवन के लिए भारत सरकार की निधियों से सहायता नहीं दी जाती है । भूमि और भवन एसपीवी अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराइ जानी होती है/व्यवस्था की जानी होती है । भूमि और भवन की उपलब्धता में विलम्ब के कारण सामान्य सुविधा केन्द्रों आदि की स्थापना में काफी विलम्ब हुआ है ।

III. डीपीआर/डीएसआर की खराब गुणवत्ता:

डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भविष्य के क्लस्टर डवलपमेंट कार्रवाई की आधारशिला रखता है । इसी प्रकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हार्ड

इंटरवेंशंस/अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तथापि, यह पाया गया है कि कुछ डीएसआर/डीपीआर अधूरी/बिना वैध कार्रवाई संयंत्र के/बिना पूरी तकनीकी जानकारी/बाजार रणनीति के है ।

IV. बीडीएस प्रदाताओं की अनुपलब्धता:

डोमैन विशेषज्ञों (व्यापार विकास सेवा प्रदाताओं) की कंसोर्टियम निर्माण, ब्रांड बिल्डिंग, विपणन, कम लागत का ऑटोमेशन आदि के क्षेत्र में विशेष रूप से काफी कमी है । एसएमई क्षेत्र संदर्भ में भी कमी उपयुक्त निर्यात के लि अधिक शुल्क/प्रभार की अदायगी की क्षमता के अभाव के कारण है ।

V. अकुशल संबद्धता:

अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामान्यतया सूक्ष्म यूनिटों और शिल्प इकाइयों के पास कोई औपचारिक सामूहिक निकाय नहीं है । शिल्पकार सामान्यतया अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं चूंकि उन्हें सभी कार्य स्वयं ही पूरे करने होते हैं और इस प्रकार वे सामूहिक गतिविधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं ।

VI. समन्वित दृष्टिकोण का अभाव:

क्लस्टर डवलपमेंट पहल केवल तभी वांछित परिणाम देती है जब उनका मिशनरी मोड में अनुपालन और कार्यान्वयन किया जाता है । कुछ संघों द्वारा अपनाई गई कभी-कभार की कोशिशें, समन्वित दृष्टिकोण का अभाव, कार्यक्रमों और एजेंसियों की बहुतायत क्लस्टर डवलपमेंट एक्जीक्यूटिवों का गलत चयन कुछेक कारण हैं जो क्लस्टर डवलपमेंट कार्यक्रम के निष्पादन को प्रभावित करते हैं ।

VII, डीएसआर/डीपीआर प्रस्तुत करने में विलम्ब:

अधिकांश स्वीकृत परियोजनाओं में डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्टो को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । दिशानिर्देशों के अनुसार इन रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का निर्धारित समय तीन माह है ।

10. सफलता की कहानियां/उपलब्धियां:

एमएसई-सीडीपी के तहत तमिलनाडु में हाथ से बनी हुई दियासलाई के छ: क्लस्टरों में क्लस्टर विकास पहल

दियासलाई निर्माण क्लस्टर एक शिल्पकार क्लस्टर है जिसमें दो हजार से अधिक हाथ से दियासलाई निर्माता यूनिटें हैं जो विरुधनगर, सत्तूर, कोविलपट्टी, कालूगुमलाई, श्रीविलिपुत्तर और गुडियाथम में स्थित हैं । इस उद्योग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगभग ढाई लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया है । ये शिल्पकार क्लस्टर मशीन निर्माण समूह से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए छ: विकास केन्द्रों में छोटे समूह और सीएफसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार के सक्रिय सहयोग और समर्थन से इसी प्रकार के उद्यमियों के समूहों द्वारा छ: कंर्सोटिया का निर्माण किया गया है, प्रत्येक समूह में 25 से 35 सदस्य हैं । सीएफसी की स्थापना सूक्ष्म और लघु खिलाड़ियों की क्षमता में वृद्धि करने का उपाय है तथा यह केवल क्लस्टर पहल के माध्यम से ही

संभव था । क्लस्टर मैकेनिज्म ने समुदाय के स्तर से संचालन के लिए दियासलाई क्लस्टरों सहित समन्वय किया है ।

छ: दियासलाई सीएफसी का ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्लस्टर की अवस्थिति	भारत सरकार का योगदान	तमिलनाडु सरकार का योगदान	एसपीवी का योगदान	कुल परियोजना लागत	कंसोर्टियम का नाम (25-35 सदस्य) स्पेशल परपस व्हीकल (एसपीवी)
पेरियावल्लीकुलम (ग्रामीण) विरुद्धनगर	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै.विरुद्धनगर मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.
थिलुकापट्टी (ग्रामीण) सत्तूर	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै. सत्तूर मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.
पुलियांगुलम (ग्रामीण) कोवलीपट्टी	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै. कोविलपट्टी मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.
कुलैयाथेवनपट्टी (ग्रामीण) कालुगुमलाई	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै. कालुगुमलाई मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.
कुलैयाथेवनपट्टी (ग्रामीण) कालुगुमलाई	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै. कालुगुमलाई मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.
सिगामालपुरम (शहरी) श्रीविल्लीपुत्तुर	85.54	10.73	59.73 (सदस्यों का हिस्सा 25.00 बैंक लोन 34.73)	156.00	मै. श्रीविल्लीपुत्तु मैच कंसोर्टियम (प्रा.) लि.

माननीय सू.ल.म.उ.मत्री, भारत सरकार द्वारा विरुद्धनगर की सीएफसी का उद्घाटन वास्तव में एक प्रेरणा था जिससे सूक्ष्म उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है । माननीय मंत्री जी ने एक छोटे से स्थान पेरियावल्लीकुलम में सीएफसी का उद्घाटन किया था । तमिलनाडु के इस छोटे से स्थान पर सीएफसी सफलतापूर्वक प्रारंभ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है । काफी संख्या में सदस्यों ने सीफसी में रोजगार के अवसर प्राप्त किए जबकि कुछेक सूक्ष्म उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ हुए ।

कॉटेज मैच मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के अखिल भारतीय परिसंघ, विरुद्धनगर ने क्लस्टरों को सुदृढ़ करने में अग्रणी भूमिका निभाई है । उन्होंने इस क्लस्टर में उद्यमियेां को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विपणन, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया, आधुनिकीकरण आदि में बढ़ावा देने के लिए प्रेरक का काम किया है ।

दियासलाई क्लस्टरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. पिछड़े क्षेत्रों में रोज़गार अवसर सृजित करना । विकास को बनाए रखना ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना ।
2. छ: कंसोर्टिया ने एक ही ब्रांड नेम यूनाईटेड मैच बनाया है ।
3. दियासलाई क्लस्टरों का परिसंघ बनाने की प्रक्रिया चल रही है ।
4. शीघ्र ही एक कॉमन वेबसाइट प्रारंभ की जाने वाली है ।
5. तमिलनाडु सरकार की सहायता से कॉमन रॉ मैटेरियल बैंक का पहले ही निर्माण किया जा चुका है । रॉ मैटेरियल बैंक का निर्माण-लागत: 25%
6. छ: सीएफसी के लिए इंजीनियरिंग प्रमुख की नियुक्ति ।
7. पुन: अखंडता की प्रक्रिया ।
8. सल्फर मुक्त दियासलाई के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास चल रहा है ।
9. एक समान प्रक्रिया पद्धति और एक समान गुणवत्ता ।
10. इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए बजट से स्मन्वित दियासलाई संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना ।
11. छ: से नौ महीने की लघु अवधि में सफलता मिलना ।
12. इस क्लस्टर के हित के लिए एमडी और अन्य छ: कंसोर्टिया के सदस्य अक्सर बैठकें करते रहते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं ।

कॉमन ब्रांड का निर्माण:

छ: कंसोर्टिया ने पहले ही एक कॉमन ब्रांड बनाया है । कॉमन ब्रांड बनाने का मुख्य उद्देश्य ब्रांड की पहचान के साथ बाजार में तेजी से पैठ बनाना है । ब्रांड की पहचान में हस्तशिल्प क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं । उन्होंने "यूनाईटेड मैच" के नाम से एक ब्रांड बनाया है । इस ब्रांड का पैटर्न चल रहा है ।

परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तावित क्लस्टर विजन

1. क्लस्टर मोड में आधुनिक मशीनों के प्रयोग द्वारा उत्पादकता को 40% तक बढ़ाना ।
2. उत्पादन स्तर 50% तक बढ़ाना ।
3. प्रति यूनिट आय के स्तर को बढ़ाना ।
4. हाथ से बनी दियासलाई उद्योग के कर्मचारियों की जीविका के लिए अधिक अंशदान ।
5. दो वर्षों के अंदर दलालों को हटाना ।
6. तीन वर्षों के अंदर उत्पादन के 15% का निर्यात करना ।

7. लागत 20% तक कम करने के लिए कॉमन रॉ मैटेरियल प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करना तथा विपणन में सीधी पैठ बनाने के लिए कॉमन मार्किटिंग प्रारंभ करना ।

दियासलाई क्लस्टरों का समकेन्द्रण-क्लस्टर पहल के तहत तुलनात्मक लाभ

विवरण	स्थिति			अभ्युक्तियां
	इंटरवेंशन से पूर्व	वर्तमान	इंटरवेंशन के पश्चात	
रॉ मैटेरियल बैंक का निर्माण-लागत संबंधी लाभ पोटेशियम क्लोरेट का मूल्य बनाए रखना	मूल्य रु. 64 - 75 प्रति किलोग्राम	रु. 60 लाभ = 20% कठिन दौर में रॉ मैटेरियल का मूल्य 108% तक पहुंच गया था (रु.100-125)	20 - 30% सामूहिक लाभ	पोटेशियम क्लोरेट का मूल्य इंटरवेंशन से पूर्व के स्तर पर लगभग 64-75 रुपए प्रति किलोग्राम था । कठिन दौर में मूल्य 100-125 रुपए प्रति किलोग्राम था । क्लस्टर पहल के पश्चात मूल्य 60 रुपए पर स्थिर हो गए । एनएसआईसी के माध्यम से सीपीसीएल से टाइप 2 और 3 वैक्स उपलब्ध कराने के लिए प्रयास पहले ही प्रारंभ कर दिए गए हैं ।
उत्पादकता	(-) 20	10 -20%	40 %	संचालन के प्रथम वर्ष में यूनिट स्तर पर उत्पादकता 40% तक पहुंच जाएगी तथा बाद में उत्पादन स्तर 80% से अधिक बढ़ जाएगा ।
दियासलाई का निर्यात	नगण्य	-	15 %	इंटरवेंशन पूर्व अवधि - दक्षिण अफ्रीकी देशों को निर्यात का प्रयास किया गया किंतु उत्पादन में निरंतरता न होने के कारण असफल रहे । कॉमन ब्रांड के साथ सीएफसी के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात निर्यात बाजार का दोहन किया जाएगा ।
आय का स्तर	बैंच मार्क स्तर से कम	15%	50%	प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के पश्चात यूनिट स्तर पर दिखाई देने वाले लाभ कई गुना बढ़ जाएंगे ।

भावी इंटरवेंशन

प्रतिबद्ध समूह क्लस्टर में विकास की दर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित क्लस्टर ड्राइवन इनिशिएटिव अपनाने की प्रक्रिया में हैं:-

- ❖ **वैक्स के लिए रॉ मैटेरियल बैंक का निर्माण ।**
- ❖ **स्प्रिलिंट निर्माण के लिए सफेद मिट्टी और अन्य उपयुक्त सामग्री का व्यापक रखरखाव।**
- ❖ **कंसोर्टिया के अंतर्गत कार्ड बोर्ड के आंतरिक और बाहरी डिब्बे का निर्माण ।**
- ❖ **स्प्रिलिंट निर्माण यूनिट की स्थापना ।**
- ❖ **आकर्षक पैकेजिंग का पता लगाना ।**
- ❖ **केरल में कंसोर्टिया द्वारा स्प्रिलिंट निर्माण संयंत्र की स्थापना ।**
- ❖ **तकनीक में सुधार के लिए तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क ।**
- ❖ **एक बाजार सूचना और संसाधन केन्द्र बनाना ।**
- ❖ **अन्य सभी निर्भर क्लस्टरों/बाजारों में मजबूत संपर्क बनाना ।**
- ❖ **कार्बोराइजेशन संयंत्र की स्थापना ।**

पीतल और जर्मन चांदी के बर्तनों का क्लस्टर, परेब, पटना (सॉफ्ट इंटरवेंशन और हार्ड इंटरवेंशन)

एमएसएमई-विकास संस्थान, पटना ने वर्ष 2004 में पीतल और जर्मन चांदी के बर्तनों के क्लस्टर, परेब, पटना में एक डायग्नोस्टिक स्टडी की थी । उस डायग्नोस्टिक स्टडी के आधार पर सॉफ्ट इंटरवेंशन किए गए थे तथा तत्पश्चात हार्ड इंटरवेंशन अर्थात एक कॉमन सुविधा केन्द्र की स्थापना भी की गई थी । पीतल और जर्मन चांदी के विभिन्न बर्तनों के निर्माण में लगे क्लस्टर में 500 से अधिक माइक्रो यूनिटें हैं । इन क्लस्टरों के उत्पाद पारंपरिक/शिल्पकार प्रकार के हैं जैसे भाली, कड़ाही, परात, लोटा, पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी से बने गिलास आदि । यह क्लस्टर स्वाभाविक रूप से बना है और लगभग 150-200 वर्ष पहले से है ।

वर्ष 2004-2007 के दौरान किए गए सॉफ्ट इंटरवेंशन में निम्नलिखित शामिल है:-

(I) विश्वास का निर्माण - परेब बर्तन कुटीर उद्योग समिति, परेब नाम एसपीवी का निर्माण।

(II) आधुनिक गैर-लौह कास्टिंग तकनीकी में प्रशिक्षण- इससे रिजेक्शन दर और न्यूनतम अपशिष्ट में कमी करने में मदद मिली ।

(III) संयुक्त गठजोड़ में ऊर्जा संरक्षण में प्रशिक्षण : इससे कोक से जलने वाली भट्टी में चिमनी लगाकर उसे अधिक ईंधन कुशल-बनाना ।

(IV) मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, जगाधरी, लुधियाना और राजकोट में पीतल के क्लस्टर के दौर का अवसर : क्लस्टर के अग्रणियों को नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी अपनाने के विचार आए ।

डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट में पता लगाई गई जरूरतों के अनुसार, एक कॉमन सुविधा केन्द्र 121.00 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत से स्थापित किया गया था जिसमें भारत सरकार से 101.00 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हुई थी । 20 लाख रुपए कीमत की भूमि और भवन स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा उपलब्ध कराई गई थी । सीएफसी सभी आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित है नामत: तेल से जलने वाली भट्टी, हॉट रोलिंग मिल, कोल्ड रोलिंग मिल, डीप ड्राइंग प्रेस, डीजल जनरेटर सैट, अन्नेलिंग फर्नेस आदि ।

क्लस्टर डेवलपमेंट पहल का परिणाम क्लस्टर यूनिटों के लिए काफी लाभदायक रहा है । वास्तविक परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

पैरामीटर/संकेतक	सॉफ्ट इंटरवेंशन से पहले की स्थिति 2004-05)	इंटरवेंशन के बाद की स्थिति (2008-09)	अभ्युक्तियां
क्लस्टर का टर्न ओवर	रु. 23.50 करोड़	रु. 69.00 करोड़	उत्पाद विविधिकरण, नई प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण के कारण वृद्धि ।
उत्पादन	1500 एमटी	1800 एमटी	
रिजेक्शन दर	10-20%	5%	प्रक्रिया के मानकीकरण की प्रक्रिया के कारण
रोजगार (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)	4000	5000	बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि हुई ।
स्क्रैप मैल्टिंग की ऊर्जा संबंधी लागत	रु. 6.00 / kg	रु. 0.60 / कि.ग्रा.	तेल से जलने वाली भट्टी के प्रारंभ होने के कारण ।
कौशल निर्माण	लागू नहीं	36 सदस्य	
यूनिटों की संख्या	500	510	
प्रति यूनिट उत्पादन की लागत	रु . 40-50 / kg	रु.30-40/कि.ग्रा.	

कॉमन सुविधा केन्द्र संवनीय आधार पर एसपीवी अर्थात परेब बर्तन कुटीर उद्योग समिति (परेब) द्वारा चलाया जाता रहा है । बिहार राज्य सरकार ने सामान्य सुविधा केन्द्र को भी सक्रिय समर्थन दिया है । इसने सीएफसी के लिए 100 किलोवाट क्षमता के विद्युतीय ट्रांसफार्मर की स्वीकृति दी है । राज्य सरकार ने इस क्लस्टर के सदस्यों को राज्य स्तर के व्यापार मेलों में नि:शुल्क भाग लेने की भी अनुमति दी है । इसके अलावा बिहार राज्य सरकार ने इस क्लस्टर में हस्थ निर्मित वस्तुओं पर से बैट भी हटा लिया है ।

रांगिया, जिला कामरूप, असम में अवसंरचना विकास केन्द्र- असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एआईआईडीसी)द्वारा कार्यान्वित

असम औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एआईआईडीसी) असम राज्य में अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में सहायक की भूमिका निभाता है । भारत सरकार ने रांगिया, जिला कामरूप, असम में नई औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए कुल 493.61 लाख रुपए की परियोजना लागत को मंजूरी दी थी जिसमें से केन्द्रीय सहायता के 394.89 लाख रुपए अक्टूबर, 2003 में स्वीकृत किए गए थे ।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सहायता और मार्गदर्शन से एआईआईडीसी ने सफलतापूर्वक अपेक्षित अवसंरचना सुवधिाओं जैसे सड़क का निर्माण करना, ड्रैनेज के निर्माण, बिजली एवं जल वितरण नेटवर्क ट्रैक पार्किंग क्षेत्र, कार्यालय भवन-सह-स्टोर शैड, बैंक भवन, डाकघर भवन, कैंटीन सुविधाओं आदि का निर्माण किया है । सभी प्लॉटों में से 230 विकसित प्लाट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए आबंटित किए गए थे । 19 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित हो गए हैं और उत्पादन के विभिन्न चरणों में हैं । उनमें 7 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों

ने अपना व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है । ये इकाइयां एल्यूमीनियम के बर्तन, बिटुमैन इम्यूलसन, स्टील फेब्रिकेशन, डिटर्जेंट एवं साबुन, पीवीसी की पानी की टंकी और पाइप, मैथल क्रिस्टल, हर्बल साबुन एवं शैम्पू, कागज के उत्पाद जैसे उत्पादों के निर्माण में शामिल हैं ।

औद्योगिक एस्टेट का प्रदर्शन दर्शाने वाले संकेतक निम्नलिखित हैं:

- टर्नओवर रु. 55.00 करोड़
- रोजगार
  - (क) प्रत्यक्ष - 789
  - (ख) अप्रत्यक्ष - 2300

कार्यसूचीमद संख्या-III

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु/मुद्दा